तिहाड़ जेल, दिल्ली में गड़बड़ी

6709. **श्री राम सिंह अयरवाल :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1967 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुई गड़बड़ी के कारण एक व्यक्ति मारा गया था तथा बहुत से अन्य जख्मी हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ख). तिहाड़ सेंट्रल जेल में मार्च 1967, में कोई घटना नहीं हुई । हां 20 मार्च, 1967 को लगभग दिन के 12.15 बजे कैम्प जेल में जहां गौ-हत्या विरोधी आंदोलन के कैदी रखे गये थे दूध के बटवारे पर एक झगड़ा हुआ । पत्थर, ईंटें, ईंधन की लकड़ियां और तम्बुओं के डंडे इस्तेमाल किये गये । नौ व्यक्ति घायल हुए जिनका सेंट्रल जेल के मुख्य अस्पताल में इलाज किया गया । उनमें से एक जिसे बाद में गम्भीर चोटों के कारण इर्विन हस्पताल में स्थानांतरित किया गया वहां जाकर मर गया । वह रूपचन्द का पुत्र सोहन था ।

मामला पुलिस को सौंप दिया गया और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा एक जांच की गई । 6 बन्दियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/304 के आधीन मुकदमा चलाया गया है । मामला न्यायाधीन है ।

Marriage Rule for Government Employees

6710. **Shri Madhu Limaye:**
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Joshi:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a rule exists to the effect that no Central Government servant can have more than one wife; and

(b) how may State Governments have made similar rule for their employees?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Under the conduct Rules applicable to Central Government Servants, no Government Servant who has a wife living shall contract another marriage without first obtaining the permission of the Government, notwithstanding that such subsequent marriage is permissible under the personal law for the time being applicable to him.

(b) Government do not have the requisite information. This is a matter to be decided by the State Government within their own powers.

बुंग्धा गांव में मकानों में आग लगना

6711. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जगन्नाथराव जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उखरूल डिवीजन के बुंग्धा नामक गांव के 20 घरों में आग लगा दी गई थी जैसा कि 8 अप्रैल, 1967 के 'वीर अर्जुन' में प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां श्रीमन् ।

(ख) कोई जन-हानि नहीं हुई । किन्तु 21 रिहायशी मकान, 6 अन्न-भंडार और 6 भोजनालय जल गय थे । ग्राम स्वयं सेवक दल की चार राइफलें और .303 शक्ति के 450 कारतूस भी जल गये । कुल हानि लगभग 2,500 रुपये की हुई ।

(ग) उखरूल थाने में धारा 436 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और अब उसकी जांच की जा रही है ।

सोनाई (उत्तर प्रदेश) के डाक व तार कर्मचारियों के लिये आवास तथा चिकित्सा की सुविधायें

6712. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह आयरवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में सोनाई गांव में डाक व तार कर्मचारियों के लिये रिहायशी मकानों तथा चिकित्सा की सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को ये सुविधाय उपलब्ध कराने के लिय क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) सोनाई में एक अतिरिक्त विभागीय डाकघर है । कर्मचारियों में एक अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टर और एक विभागीय ग्राम डाकिया है । विभाग अतिरिक्त विभागीय एजेंटो के लिये रिहायशी मकान की व्यवस्था नहीं करता और न ही उन्हें नियमित डाक तार कर्मचारियों की तरह चिकित्सा की सुविधाएं पाने का हक है, किन्तु ग्राम डाकिया स्थानीय सरकारी डिस्पेंसरी में चिकित्सा की सुविधायें प्राप्त कर सकता है । रिहायशी मकान केवल नियमित डाक-तार कर्मचारियों को उन स्थानों पर ही दिये जाते हैं जहां कर्मचारी भारी संख्या में काम करते हों ।

सोनाई डाक घर का दर्जा बढ़ाना

6713. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामसिंह आयरवाल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले में सोनाई डाकघर का दर्जा बढ़ाने, उसमें तार की सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा डाक व तार घर की एक अलग इमारत बनाने के संबंध में पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गांव की जन संख्या लगभग सात हजार है और वहां सभी प्रकार की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस डाकघर का दर्जा बढ़ाने तथा एक पृथक इमारत बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) इस क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी से यह सुनिश्चित किया गया है कि इस समय इस गांव की जनसंख्या 5,375 है । डाक लाने-ले-जाने के लिए उपयुक्त परिवहन की सुविधा उपलब्ध है ।

(ग) मौजूदा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे विभागीय उपडाकघर बनाने के प्रस्ताव की जून, 1956 और अक्तूबर, 1966 में जांच की गई थी और चूंकि काम के न्यूनतम घंटों